

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 536/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

बिरसा गुड़िया

- विक्रेता

सेलेस्टीना कुल्लु

- क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------|----|----|-----|-------|--|
| 25.09.20 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक बिरसा गुड़िया पिता स्व० भदेया गुड़िया ग्राम कुमांग, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सेलेस्टीना कुल्लु पति लेमो मुण्डा ग्राम गोपला, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"><thead><tr><th>ग्राम</th><th>थाना नं०</th><th>खाता नं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>कुमांग</td><td>42</td><td>25</td><td>161</td><td>0.12½</td></tr></tbody></table> <p>अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 654 दिनांक 26.07.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता के हिस्से में 2.00 एकड़ से कम जमीन पड़ने के कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते हैं। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, तोरपा जांच प्रतिवेदन अनुसार वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p> भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | कुमांग | 42 | 25 | 161 | 0.12½ | |
| ग्राम | थाना नं० | खाता नं० | खेसरा सं० | रकबा (एकड़ में) | | | | | | | | |
| कुमांग | 42 | 25 | 161 | 0.12½ | | | | | | | | |